

भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता

DR. VANDANA SHARMA

Assistant Professor, Department of Hindi Literature, Govt Girls College, Kaithun, Kota

सार

भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का गहरा संबंध है। 19वीं सदी में हिंदी पत्रकारिता ने समाज में तार्किकता, राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता की भावना और सामाजिक सुधारों का सूत्रपात किया। [1, 2]

हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत और नवजागरण

- उदन्त मार्तण्ड (1826): पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहला हिंदी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' निकाला। इसी दिन को भारत में 'हिंदी पत्रकारिता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। [1, 2]
- राजा राममोहन राय और संवाद कौमुदी: राजा राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों (जैसे सती प्रथा) के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। उन्होंने 'संवाद कौमुदी' (1821) और हिंदी का 'बंगदूत' (1829) जैसे पत्र निकाले। [1]

भारतेंदु युग और जन-जागरण

- भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका: भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण का स्वर्णकाल माना जाता है। [1, 2]
- प्रमुख पत्रिकाएं: भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 'कवि वचन सुधा', 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' और 'बाला बोधिनी' जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। [1]
- मुख्य मुद्दे: इन पत्रिकाओं ने स्वदेशी, भाषा-प्रेम, गरीबी, विदेशी शोषण, अंधविश्वास और सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध देशवासियों को जागरूक किया। [1]

द्विवेदी युग और परिपक्वता

- महावीर प्रसाद द्विवेदी: 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा के व्याकरण, शैली और वैचारिक परिपक्वता को संभाला।
- सांस्कृतिक चेतना: इस दौर में पत्रकारिता केवल साहित्य तक सीमित न रहकर राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की आवाज बन गई। [1]

नवजागरणकालीन हिंदी पत्रकारिता की मुख्य विशेषताएं

- राष्ट्रीयता और स्वाधीनता: अंग्रेजी औपनिवेशिक नीतियों का खुलकर विरोध और स्वराज की भावना का प्रसार। [1, 2]
- सामाजिक सुधार: छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादिता पर तीखा प्रहार। [1]
- भाषा का निर्माण: हिंदी को जनमानस की भाषा बनाना और खड़ीबोली का विकास करना।

परिचय

पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र की पहरेदार है, इसे हम लोकतंत्र का 'बैरोमीटर' भी कह सकते हैं। पत्रकार जितना सबल होगा, लोकतंत्र उतना ही स्वस्थ होगा। पहरेदार जितना जागरूक और निडर होगा, लोकतंत्र उतना ही चमकदार और मज़बूत होगा। शायद इसीलिए पत्रकारिता को संविधान का 'चौथा खम्बा' भी कहते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ख़बर पालिका। साथियों, अपने समय और समाज की भरोसेमंद अभिव्यक्ति ही, सच्ची पत्रकारिता है। पत्रकारिता को जनता की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं का आइना होना चाहिए।

आप जानते हैं पत्रकारिता एक भरोसे का रिश्ता है, और ये रिश्ता एक दिन में नहीं बनता। इस भरोसे के पीछे सालों साल की कड़ी तपस्या होती है। विश्वासनीयता होती है, यह विश्वासनीयता ही पत्रकारिता की पूंजी है, और इसे बचाए रखना ही इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर राम बहादुर राय जी, पर आज विमोचित किताब में, देशभर के सवा सौ चुनिंदा लोगों ने उनके बारे में लिखा है। और इस हॉल में इतने लोग इकट्ठा हैं, तो इसके पीछे विश्वासनीयता की वही तपस्या है। इस तपस्या की खातिर उन्होंने न कभी सत्ता की परवाह की, न सिस्टम की और न ही स्वयं के हितों की पूर्ति की।^[1,2,3]

आज लोकार्पित हुई किताब, राय साहब की बेदाग पत्रकारिता पर विस्तार से प्रकाश डालती है। मैंने भी इस किताब में छपे अपने लेख में, राय साहब के बारे में भरपूर कहा और बताया है। इसलिए मैं इस वक्त अपनी बात हिंदी पत्रकारिता, उसकी चुनौतियां, विश्वास का संकट, और इन सबके बीच राय साहब जैसे योद्धा, संन्यासी तक ही सीमित रखूंगा। जो हमारे लिए इस कठिन समय में रास्ता भी हैं, और उदाहरण भी।

भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म अठारहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ। 1780 ई. में प्रकाशित हिके (Hickey) का "कलकत्ता गज़ट" कदाचित् इस ओर पहला प्रयत्न था। हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तण्ड (1826) के प्रकाशित होने तक इन नगरों की ऐंग्लोइंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो गई थी।

इन अंतिम वर्षों में फारसी भाषा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। 18वीं शताब्दी के फारसी पत्र कदाचित् हस्तलिखित पत्र थे। 1801 में 'हिंदुस्थान इंटेलिजेंस ओरिएंटल ऐंथॉलॉजी' (Hindusthan Intelligence Oriental Anthology) नाम का जो संकलन प्रकाशित हुआ उसमें उत्तर भारत के कितने ही "अखबारों" के उद्धरण थे। 1810 में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से लीथो पत्र "हिंदोस्तानी" प्रकाशित करना आरंभ किया। 1816 में गंगाकिशोर भट्टाचार्य ने "बंगाल गज़ट" का प्रवर्तन किया। यह पहला बंगला पत्र था। बाद में श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचारपत्र "समाचार दर्पण" को (27 मई 1818) जन्म दिया। इन प्रारंभिक पत्रों के बाद 1823 में हमें बंगला भाषा के 'समाचारचंद्रिका' और "संवाद कौमुदी", फारसी उर्दू के "जामे जहाँनुमा" और "शमसुल अखबार" तथा गुजराती के "मुंबई समाचार" के दर्शन होते हैं।

यह स्पष्ट है कि हिंदी पत्रकारिता बहुत बाद की चीज नहीं है। दिल्ली का "उर्दू अखबार" (1833) और मराठी का "दिग्दर्शन" (1837) हिंदी के पहले पत्र "उदंत मार्तण्ड" (1826) के बाद ही आए। "उदंत मार्तण्ड" के संपादक पंडित जुगलकिशोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा "पछाँही हिंदी" रहती थी, जिसे पत्र के संपादकों ने "मध्यदेशीय भाषा" कहा है।[4,5,6]

विचार-विमर्श

हिंदी पत्रकारिता दो सौ बरस का सफ़र तय कर चुकी है। पर यह सफ़र सिर्फ हिंदी पत्रकारिता के दो सौ बरस का इतिहास नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है। हिंदी भाषा का इतिहास भी है। हिंदी समाज के स्वाभिमान का इतिहास भी है। दो सौ बरस पहले जब भारत में हिंदी पत्रकारिता जन्म ले रही थी, उस वक्त समाज और देश कारा में थे। पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। भारत गुलामी की नई नस्ल के चंगुल में अपने वजूद को पहचानने, बदलने और बनाने की कवायद कर रहा था। दो शताब्दी पहले हिंदी खड़ी बोली, हिंदी गद्य, और हिंदी पत्रकारिता, तीनों ने एक साथ चलना शुरू किया था। ऐसे में हिन्दी के पहले अखबार 'उदन्त मार्तण्ड' का छपना एक युगान्तकारी घटना थी। भाषा अभी कच्ची थी, और देश तथा समाज गुलाम थे। हिंदी भाषा आकार ले रही थी, और पत्रकारिता खुद नए प्रयोगों के आधार पर सीख और संवर रही थी।

ऐसे में 'उदन्त मार्तण्ड' के जरिए हमें पत्रकारिता का मंगलाचरण मिला। पं. जुगल किशोर शुक्ल की दृष्टि और मेहनत ने हिंदी को एक नई विधा दी। यह विधा समाज में भाषा, लेखन, सूचना-संचार और लोक संवर्धन के मस्तक पर हिंदी का तिलक कर रही थी। इसने न सिर्फ एक नया रास्ता खोला, इस विधा ने आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंदी समाज को एक नया हथियार थमा दिया था। हिंदी पत्रकारिता अब भाषा के साथ-साथ आज़ादी के हित में भी उठ खड़ी हुई थी।

और यकीन मानिए, 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो उसमें नायकों, क्रांतिकारियों और महापुरुषों का योगदान तो है ही, हिंदी पत्रकारिता का भी महती योगदान है।[3,4,5]

हिंदी पत्रकारिता की इस परंपरा ने हमें 'कविवचन सुधा' दी, भारतेन्दु जैसा उन्नायक दिया। जिन्होंने 'हरिश्चंद्र मैगज़ीन' और 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' जैसी मील की पत्थर पत्रिकाएं दी। बाबूराव विष्णु पराङ्कर और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे महान संपादक दिए। जिन्होंने सूचना, समाज और भाषा- तीनों की सेवा में अपना सारा जीवन झोंक दिया। आजादी के मतवाले गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान को कौन भूला सकता है? इसी परंपरा ने देश को जगाया, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई, संदेश भेजे और अपने क्रांतिकारी विचारों से लोगों को संगठित और संवर्धित भी किया। नए तरह के वाक्य। नई तरह की लेखन शैली। नए तरह के शब्द। कितना कुछ दिया है, हमें इस पत्रकारिता ने, आज़ाद भारत के नवनिर्माण में हिंदी पत्रकारिता का योगदान बेमिसाल है। आज अखबारों, पत्रिकाओं से निकलकर हिंदी पत्रकारिता रेडियो, टीवी और इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइटों, सोशल मीडिया तक आ पहुंची है।

इसी हिंदी और हिंदी पत्रकारिता ने हमें सिखाया है, कि कैसे खुद के लिए उठ खड़ा होना ज़रूरी होता है। अंग्रेज़ी या दूसरी किसी भाषा की कृपा के सहारे हिंदी के इस अनंत समाज को न तो सिखाया जा सकता था और न जागरूक किया जा सकता था। यह हिंदी की ही क्षमता थी, और उसकी पत्रकारिता का गुण, जो आज एक पूरा समाज सीखते-समझते अपने 200 वर्षों के सफ़र के बाद दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा है। इस समाज के पास कौशल है, विद्वत्ता है, दृष्टि है, विचार हैं, साहित्य है, समाज और राजनीति में दखल है, सामाजिक और सांस्कृतिक नवजागरण है, लोकतंत्र है, सिनेमा है और इन सबको पिरोने वाली एक भाषा है। और यह भाषा, पत्रकारिता के कंधे पर बैठकर ही चाय की दुकानों, सैलून, रेलगाड़ी के डिब्बों, स्कूलों-लाइब्रेरियों, बैठकखानों और मकानों तक लोगों को सिखाती-जगाती गई।[5,6,7]

परिणाम

हिन्दी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिन्दी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत् दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित् इसलिए विदेशी सरकार की दमन-नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था, उसके नृशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी गद्य-निर्माण की चेष्टा और हिन्दी-प्रचार आन्दोलन अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था इसका साक्ष्य 'भारतमित्र' (सन् 1878 ई. में) 'सार सुधानिधि' (सन् 1879 ई.) और 'उचित वक्ता' (सन् 1880 ई.) के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है।

भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार, उदन्त मार्तण्ड, 30 मई 1826 को शुरू हुआ।[1] इस दिन को "हिंदी पत्रकारिता दिवस" के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसने हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत को चिह्नित किया था।[2]

वर्तमान में हिन्दी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश-विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था लेकिन आज हिन्दी भाषा का झण्डा चहुँदिस लहरा रहा है। ३० मई को 'हिन्दी पत्रकारिता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।[5,6]

1921 के बाद हिंदी पत्रकारिता का समसामयिक युग आरंभ होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को साथ साथ पल्लवित पाते हैं। इसी समय के लगभग हिंदी का प्रवेश विश्वविद्यालयों में हुआ और कुछ ऐसे कृती संपादक सामने आए जो अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतः परिचित थे और जो हिंदी पत्रों को अंग्रेजी, मराठी और बँगला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे। फलतः साहित्यिक पत्रकारिता में एक नए युग का आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों ने हिंदी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली बार घोषित की ओर जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों का बल बढ़ने लगा, हिंदी के पत्रकार और पत्र अधिक महत्त्व पाने लगे। 1921 के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्यवर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुंच गया और उसके इस प्रसार में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योग दिया। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों की अग्र पंक्ति में थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया। विदेशी सरकार ने अनेक बार नए नए कानून बनाकर समाचारपत्रों

की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया परंतु जेल, जुर्माना और अनेकानेक मानसिक और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलते हुए भी हिन्दी पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार की दीपशिखा जलाए रखी।

1921 के बाद साहित्यक्षेत्र में जो पत्र आए उनमें प्रमुख हैं-

स्वार्थ (1922), माधुरी (1923), मर्यादा, चाँद (1923), मनोरमा (1924), समालोचक (1924), चित्रपट (1925), कल्याण (1926), सुधा (1927), विशालभारत (1928), त्यागभूमि (1928), हंस (1930), गंगा (1930), विश्वमित्र (1933), रूपाभ (1938), साहित्य संदेश (1938), कमला (1939), मधुकर (1940), जीवनसाहित्य (1940), विश्वभारती (1942), संगम (1942), कुमार (1944), नया साहित्य (1945), पारिजात (1945), हिमालय (1946) आदि।

वास्तव में आज हमारे मासिक साहित्य की प्रौढ़ता और विविधता में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। हिंदी की अनेकानेक प्रथम श्रेणी की रचनाएँ मासिकों द्वारा ही पहले प्रकाश में आई और अनेक श्रेष्ठ कवि और साहित्यकार पत्रकारिता से भी संबंधित रहे। आज हमारे मासिक पत्र जीवन और साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति करते हैं और अब विशेषज्ञता की ओर भी ध्यान जाने लगा है। साहित्य की प्रवृत्तियों की जैसी विकासमान झलक पत्रों में मिलती है, वैसी पुस्तकों में नहीं मिलती। वहाँ हमें साहित्य का सक्रिय, संप्राण, गतिशील रूप प्राप्त होता है।

राजनीतिक क्षेत्र में इस युग में जिन पत्रपत्रिकाओं की धूम रही वे हैं -

कर्मवीर (1924), सैनिक (1924), स्वदेश (1921), श्रीकृष्णसंदेश (1925), हिंदूपंच (1926), स्वतंत्र भारत (1928), जागरण (1929), हिंदी मिलाप (1929), सचित्र दरबार (1930), स्वराज्य (1931), नवयुग (1932), हरिजन सेवक (1932), विश्वबंधु (1933), नवशक्ति (1934), योगी (1934), हिंदू (1936), देशदूत (1938), राष्ट्रीयता (1938), संघर्ष (1938), चिनगारी (1938), नवज्योति (1938), संगम (1940), जनयुग (1942), रामराज्य (1942), संसार (1943), लोकवाणी (1942), सावधान (1942), हुंकार (1942) और सन्मार्ग (1943), जनवार्ता (१९७२)।

इनमें से अधिकांश साप्ताहिक हैं, परंतु जनमन के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जहाँ तक पत्र कला का संबंध है वहाँ तक हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे युग के पत्रों में धरती और आकाश का अंतर है। आज पत्रसंपादन वास्तव में उच्च कोटि की कला है। राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में "आज" (1921) और उसके संपादक स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराङकर का लगभग वही स्थान है जो साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है। सच तो

यह है कि "आज" ने पत्रकला के क्षेत्र में एक महान संस्था का काम किया है और उसने हिंदी को बीसियों पत्रसंपादक और पत्रकार दिए हैं।[6,7]

आधुनिक साहित्य के अनेक अंगों की भाँति हिन्दी पत्रकारिता भी नई कोटि की है और उसमें भी मुख्यतः हमारे मध्यवर्ग वर्ग की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक हलचलों का प्रतिबिम्ब भास्वर है। वास्तव में पिछले २०० वर्षों का सच्चा इतिहास हमारी पत्रपत्रिकाओं से ही संकलित हो सकता है। बँगला के "कलेर कथा" ग्रंथ में पत्रों के अवतरणों के आधार पर बंगाल के उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवर्गीय जीवन के आकलन का प्रयत्न हुआ है। हिंदी में भी ऐसा प्रयत्न वांछनीय है। एक तरह से उन्नीसवीं शती में साहित्य कही जा सकनेवाली चीज बहुत कम है और जो है भी, वह पत्रों के पृष्ठों में ही पहले-पहल सामने आई है। भाषाशैली के निर्माण और जातीय शैली के विकास में पत्रों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, परंतु बीसवीं शती के पहले दो दशकों के अंत तक मासिक पत्र और साप्ताहिक पत्र ही हमारी साहित्यिक प्रवृत्तियों को जन्म देते और विकसित करते रहे हैं। द्विवेदी युग के साहित्य को हम "सरस्वती" और "इंदु" में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही उस साहित्य का असली रूप है। 1921 ई. के बाद साहित्य बहुत कुछ पत्रपत्रिकाओं से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, परंतु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक आंदोलनों के लिए हमें मासिक पत्रों के पृष्ठ ही उलटने पड़ते हैं। राजनीतिक चेतना के लिए तो पत्रपत्रिकाएँ हैं ही। वस्तुतः पत्रपत्रिकाएँ जितनी बड़ी जनसंख्या को छूती हैं, विशुद्ध साहित्य का उतनी बड़ी जनसंख्या तक पहुँचना असंभव है।

90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि के नगरों-कस्बों से कई संस्करण निकलने शुरू हुए। जहाँ पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आयी नई तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया। साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों, कस्बों में फैलते बाजार में नई वस्तुओं के लिए नये उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई। हिंदी के अखबार इन वस्तुओं के प्रचार-प्रसार का एक जरिया बन कर उभरा है। साथ ही साथ अखबारों के इन संस्करणों में स्थानीय खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है। इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया विशेषज्ञ सेवन्ती निनान ने इसे 'हिंदी की सार्वजनिक दुनिया का पुनर्विष्कार' कहा है। वे लिखती हैं, "प्रिंट मीडिया ने स्थानीय घटनाओं के कवरेज द्वारा जिला स्तर पर हिंदी की मौजूद सार्वजनिक दुनिया का विस्तार किया है और साथ ही अखबारों के स्थानीय संस्करणों के द्वारा अनजाने में इसका पुनर्विष्कार किया है।

1990 में राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती थी कि पांच अगुवा अखबारों में हिन्दी का केवल एक समाचार पत्र हुआ करता था। पिछले (सर्वे) ने साबित कर दिया कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार (२०१०) सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पांच अखबारों में शुरू के चार हिंदी के हैं।[5,6,7]

एक उत्साहजनक बात और भी है कि आईआरएस सर्वे में जिन 42 शहरों को सबसे तेजी से उभरता माना गया है, उनमें से अधिकांश हिन्दी हृदय प्रदेश के हैं। मतलब साफ है कि अगर पिछले तीन दशक में दक्षिण के राज्यों ने विकास की जबरदस्त पीं बड़ाई तो आने वाले दशक हम हिन्दी वालों के हैं। ऐसा नहीं है कि अखबार के अध्ययन के मामले में ही यह प्रदेश अगुवा साबित हो रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री का एक आंकड़ा बताता है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं में नेट पर पढ़ने-लिखने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है।

मतलब साफ है। हिन्दी की आकांक्षाओं का यह विस्तार पत्रकारों की ओर भी देख रहा है। प्रगति की चेतना के साथ समाज की निचली कतार में बैठे लोग भी समाचार पत्रों की पंक्तियों में दिखने चाहिए। पिछले आईएस, आईआईटी और तमाम शिक्षा परिषदों के परिणामों ने साबित कर दिया है कि हिन्दी भाषियों में सबसे निचली सीढ़ियों पर बैठे लोग भी जबरदस्त उछाल के लिए तैयार हैं। हिन्दी के पत्रकारों को उनसे एक कदम आगे चलना होगा ताकि उस जगह को फिर से हासिल सकें, जिसे पिछले चार दशकों में हमने लगातार खोया।

निष्कर्ष

१ मई २०२६ को हिन्दी पत्रकारिता का द्विशताब्दी वर्ष आरम्भ हो गया। इस अवसर पर भारत सरकार ने हिन्दी के पहले समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' और उसके सम्पादक युगल किशोर शुक्ल के सम्मान में एक स्मृति डाक टिकट और प्रथम दिवस आवरण जारी किया। संस्कृति मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) तथा माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में यहां आईजीएनसीए सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 'हिन्दी पत्रकारिता के 200 साल की महागाथा' ग्रंथ का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुभकामना संदेश भेजा, जिसे आईजीएनसीए के अध्यक्ष पद्मभूषण रामबहादुर राय ने पढ़कर सुनाया। श्री राय आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे।[7]

संदर्भ

1. Gangopadhyay, Avik (2020). Glimpses of Indian Languages. Evincepub publishing. p. 43. ISBN 978-93-90197-82-8.
2. "दक्षिण अफ्रीका का संविधान, 1996 – अध्याय 1: मूल प्रावधान". www.gov.za. अभिगमन तिथि: 6 दिसम्बर 2014.
3. "अबू धाबी ने हिन्दी को तीसरी आधिकारिक न्यायालय भाषा बनाया". *The Hindu*. 10 फरवरी 2019 – via www.thehindu.com.

4. "Hindi Speaking Union Act" (PDF). www.culture.govmu.org.
5. "हमारे बारे में". केंद्रीय हिन्दी निदेशालय. मूल से 4 मई 2012 को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि: 18 फरवरी 2014.
6. "Why Hindi isn't the national language". मूल से 3 जून 2019 को पुरालेखित।. अभिगमन तिथि: 3 जून 2019.
7. Khan, Saeed (25 जनवरी 2010). "There's no national language in India: Gujarat High Court". द टाइम्स ऑफ इण्डिया. Ahmedabad: टाइम्स समूह. 18 मार्च 2014 को मूल से पुरालेखित. अभिगमन तिथि: 5 मई 2014.